



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 01 जुलाई, 2025 / 10 आषाढ़, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

1. कृषि

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कृषि" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मज़दूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मचारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मचारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से 425 रुपए प्रतिदिन या 12,750 रुपए प्रतिमास की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी।

अकुशल की परिभाषा निम्न प्रकार से होगी :-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

2. सड़कों का निर्माण या रख-रखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सड़कों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित मजदूरी	
	दैनिक	मासिक
1	2	3
अकुशल कर्मकार :	रुपए	रुपए
भिश्ती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टेम्परर ग्रेड-II/ गलेजियर/ पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रौक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमन के लिए स्प्रे मैन/पाइप लाईन मैन / इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रेक्टर एवं रोड रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन(चपरासी)/ड्रेसर / आयल मैन / ग्रीसर / मैस हेल्परज / बॉय हैल्पर (0 से 5 साल) /खलासी (0 से 3 साल) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	425	12,750
अर्धकुशल कर्मकार :	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-II /मैसन ग्रेड-II/स्यूअर मैन/ब्लैक स्मिथ ग्रेड-II/सैनिटरी फिटर ग्रेड-II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन रोडज/ क्रैन-मैन/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन)/क्रैन-मैन/डिस्टेम्परर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फलोर-पालिशर/स्टोन ड्रेसर/माली/वैल-सिंकर/बहाइट-वाशर/ वर्कशाप मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड-II / पाइप फिटर ग्रेड-II/ ब्रिक मोल्डर/सहायक फिटर/सहायक फायर मैन/सहायक वैलडर/सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रेसर (अर्हित/ अनुभवी)/	RT\	13,560

हैमरमैन/कुक्क / वल्कनार्डजर/नोजल मैन् / टनल मैन् / एलॉए
ट्रोल्ली आपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल
जुबली मैन् / टनल-मैन् / हैल्पर (5 साल और इससे अधिक)/
आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन् / सहायक-लैवलर /
खलासी (3 से 8 साल) / स्टोन-ड्रैसर / पम्प-एटैन्डेन्ट / औटो
इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-।।/गार्डनर/गेज-रीडर /सहायक लैव एटैन्डेन्ट /
औटो इलेक्ट्रिशियन/ मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन
एटैन्डेन्ट/ स्टोन-ड्रैशर/स्टोन-ब्रेकर /राक स्टोन ब्रेकर /
स्टोन-क्रैशर।

1/2 इंच से 2 इंच
2550 रुपए प्रति सौ घन फुट
1 इंच से 1 1/4 इंच रुपए 2811
रुपए प्रति सौ घन फुट

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड-।/ मैसन ग्रेड-।/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर
ग्रेड-।/अप-होलसल्टर ग्रेड-। / सहायक पम्प ओपरेटर / पम्प
ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन् ग्रेड-।। / जल आपूर्तिफिटर/
कारपेन्टरग्रेड-।। / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या
टेलर ग्रेड- ।/दर्जी या टेलर ग्रेड-।। / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक
कार्य के लिए स्टोन-ड्रैसर / पलम्बर ग्रेड-। / पाईप फिटर
ग्रेड-।/आटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर /
मिक्सर-आपरेटर /संरचनात्मक फिटर ग्रेड-।। / वर्कशाप फिटर/
जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल
इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / क्रशिंग प्लांट फिटर / (बी.)
प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर/ बन्च फिटर /
शेपर/ आटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजेरेटर प्लांट फिटर /
ट्रेक्टर-आपरेटर/शाफ्ट माइनर / कोचरिंग आपरेटर/डोजर आपरेटर /
रोकलेन आपरेटर/सक्रेपर-आपरेटर / लोडर आपरेटर/क्रेन-आपरेटर /
युकलिड-आपरेटर / वैगन ड्रिलआपरेटर / बोरिंग-आपरेटर /
एस.एल.डी. क्रेन आपरेटर/ (बी0) प्लांट-आपरेटर / आइस प्लांट
आपरेटर या वैल्डर/गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ /
ट्रैक्शन बैटरी चार्जर/लाइनमैन टेलीफोन आपरेटर/खलासी/जमादार /
वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर /
क्लाइमबर/मोल्डर/लेवलरज सॉ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन
ग्रेड-।। / खलासी (8 साल से अधिक) / ट्रेसर आपरेटर /
ई0एम0ई0/ड्राइवर/कम्प्रेसर/रौकर शोवेल आपरेटर/स्नो कटर
आपरेटर/लोको-आपरेटर/गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन/
वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक /
डी.जी.सेट आपरेटर / वर्कशाप फोर मैन् ग्रेड-।।।

रुपए

493

रुपए

14,790

उच्च कुशल

केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड- । / चार्ज
मैन् ग्रेड-। / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-। / टर्नर ग्रेड-।/मकैनिक आल
राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक
फिटर ग्रेड-। / सर्वेयर/ड्राफ्टसमैन/सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट /
कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/
वायरमैन / आटो इलेक्ट्रिशियन / इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल
एनालाइजर ।

रुपए

588

रुपए

17,640

लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ :	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपेक्टर / रोड इन्सपेक्टर / वर्क इन्सपेक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी / सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग क्लर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग क्लर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फ़ैरो-प्रिंटर/ ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर)/ क्लर्क/मैकेनिकल इन्सपेक्टर/ सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	493	14,790

टिप्पणी :-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निमाणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

3. लोक मोटर परिवहन

संख्या: श्रम(ए)4-1 / 2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “लोक मोटर परिवहन” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों व अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ) :

	रुपए	रुपए
(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी	425 रुपए प्रतिदिन	12,750 रुपए प्रतिमास
(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)	425 रुपए प्रतिदिन	12,750 रुपए प्रतिमास
(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है	441 रुपए प्रतिदिन	13,230 रुपए प्रतिमास

अर्ध-कुशल :

1. सहायक इलैक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर
6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई0टी0आई0 का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो ।
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल :-

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोलस्टर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई-टी-आई-सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत है ।

रुपए 481 प्रतिदिन या
रुपए 14,430 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ :

हैड मकैनिक, कारबोरेटर/हैड इलैक्ट्रिशियन/गैरेज सुपर वाइजर

रुपए 534 प्रतिदिन या
रुपए 16,020 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि**ग्रुप-ए :**

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रुपए 481 प्रतिदिन या
रुपए 14,430 प्रतिमास

ग्रुप-बी :

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चौकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक ।

रुपए 507 प्रतिदिन या
रुपए 15,210 प्रतिमास

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टेंट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रुपए 597 प्रतिदिन
रुपए 17,910 प्रतिमास**रनिंग स्टाफ :**

1. ड्राइवर

रुपए 540 प्रतिदिन
रुपए 16,200 प्रतिमास

2. कंडक्टर

रुपए 493 प्रतिदिन
रुपए 14,790 प्रतिमास

3. क्लीनर कम कंडक्टर

रुपए 461 प्रतिदिन
रुपए 13,830 प्रतिमास

4. पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क

रुपए 295 प्रतिदिन
रुपए 8,850 प्रतिमास**टिप्पणी:-**

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ोतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य प्रवर्गों के कर्मकारों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा
उपलब्ध नहीं करवाई
गई है

जहां भोजन, चाय, और
संयुक्त आवास, सुविधा
उपलब्ध करवाई गई है

कुशल :

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार / चौकीदार /
चपड़ासी / स्वीपर / मसालची / गेटमैन/वाटरमैन/

रुपए 425 प्रतिदिन
रुपए 12,750 मासिक

रुपए 394 प्रतिदिन
रुपए 11,820 मासिक

क्लीनर / पैकर / मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर /
मैसैजर / क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर / भिश्ती / बेलदार /
फायरमैन / पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार
जो अकुशल कार्य कर रहा हो ।

अर्धकुशल :

हैडपोर्टर / पैंटरीमैन / काफी टीमेकर / चपातीमैन /
सहायक-बेकर / गेट-कीपर (सिनेमा) / सहायक
लाइनमैन / सहायक-आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट /
बिल-कलेक्टर / कनवैसर / कुक / असिस्टेंट-हलवाई /
बुक-बाइंडर / स्टीचर / रूलिंग-कटिंग औक्शनर /
माली / सीवरमैन / होटल-गाइड / सहायक मिस्त्री /
सहायक-फिटर / सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर
सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक-वैल्डर / सहायक-
सेल्जमैन / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /
बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर / वेयरर /
ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर /
पकौड़ा और चना मेकर / कलर्क / (नॉन मेट्रिक /
सहायक स्टोर कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व
सहायक-मशीनमैन / इनक्वायरी अटेंडेन्ट / टेलीफोन
अटेंडेन्ट / आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र सर्टिफिकेट
धारक ।

रुपए 449 प्रतिदिन	रुपए 439 प्रतिदिन
तथा रुपए 13,470 प्रतिमाह	तथा रुपए 13,170 प्रतिमाह

कुशल :

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर / रेडियो
मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर / ड्राइवर /
सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) / स्टुवार्ड / जनरल
मकैनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर / बेकर /
बटलर / फिटर / ड्राफ्ट्समैन / टेलीफोन-आपरेटर /
कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल
कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा आपरेटर /
सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर / बारबर / रेगुलर
मशीनमैन / मशीनिस्ट / वेल्डर / मोल्डर /
कैशियर / क्लर्क (मैट्रिकुलेट) / मुनीम /
रिसैपशनिस्ट / वेटर / वियरर स्टोर-कीपर / हैड
वेटर / हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल) /
लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो इसी ट्रेड
में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 493 प्रतिदिन	रुपए 454 प्रतिदिन
रुपए 14,790 मासिक	रुपए 13,620 मासिक

उच्च-कुशल :

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य
खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर /
हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रिशियन /
फोरमैन / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

रुपए 513 प्रतिदिन	रुपए 475 प्रतिदिन
रुपए 15,390 मासिक	रुपए 14,250 मासिक

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-**कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:-**उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

5. वानिकी उद्योग

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के प्रवर्ग		संशोधित न्यूनतम मजदूरी	
अकुशल कर्मकार :		दैनिक	मासिक
1.	वृक्षों को गिराना	रुपए 425	रुपए 12,750
	1. लेबर (छांगी)	रुपए 449	रुपए 13,470
	2. फैलर (गिरानी)	रुपए 435	रुपए 13,050
2.	लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
	1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 435	रुपए 13,050
	2. सायर (चिरानी)	रुपए 534	रुपए 16,020
	3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 503	रुपए 15,090
3.	ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
	1. ढुलाई के लिए मजदूर	रुपए 435	रुपए 13,050
		रुपए 435	रुपए 13,050
	2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मजदूर।		
4.	रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		
	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 534	रुपए 16,020
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 503	रुपए 15,090

5.	पक्की नाली (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फ्लोटिंग) द्वारा ढुलाई:		
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 573	रुपए 17,190
	2. तारू	रुपए 549	रुपए 16,470
	3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 513	रुपए 15,390
	4. दरियामैन	रुपए 549	रुपए 16,470
	5. घालू	रुपए 468	रुपए 14,040
	6. जमादार	रुपए 468	रुपए 14,040
6.	यंत्रीकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी:		
	1. सर्वेयर	रुपए 538	रुपए 16,140
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 503	रुपए 15,090
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 471	रुपए 14,130
	4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 471	रुपए 14,130
7.	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 619	रुपए 18,570
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 477	रुपए 14,310
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 435	रुपए 13,050
8.	सॉ मिल वर्कर :		
	1. बैंड सॉ मिस्त्री	रुपए 503	रुपए 15,090
	2. सुपरवाइजर	रुपए 496	रुपए 14,880
	3. हैंड मिस्त्री	रुपए 503	रुपए 15,090
	4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 503	रुपए 15,090
	5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 441	रुपए 13,230
	6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 441	रुपए 13,230
	7. हैल्पर	रुपए 435	रुपए 13,050
	8. कटर मैन	रुपए 435	रुपए 13,050
9.	कत्था निकासी :		
	1. फैलर तथा चिप्पर	रुपए 435	रुपए 13,050
	2. कत्था सुपरवाइजर/कत्था प्रौसेसर	रुपए 435	रुपए 13,050

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी)
ओवरसियर, हैडफोरमैन

रुपए 588 दैनिक रुपए 17,640 मासिक

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल**:-अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल**:-अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल**:-कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल**:-उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,

सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “रसायन और रासायनिक उत्पादों” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें	
अकुशल:	रुपए 425	रुपए 12,750
अर्धकुशल:	दैनिक रुपए	मासिक रुपए
एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-I, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर, हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	439	13,170
कुशल:	दैनिक	मासिक
साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिसटेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-II, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्ट्समैन, एसिसटेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिक), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर। आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) धारक जो समान ट्रेड में कार्यरत हैं।	रुपए 493	रुपए 14,790
उच्च-कुशल:	दैनिक	मासिक
बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैड फोरमैन।	रुपए 588	रुपए 17,640

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-**कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:-**उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु इंगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

7. इंजीनियरिंग उद्योग

संख्या: श्रम(ए)4-1 / 2024.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल

दैनिक रुपए

425

मासिक रुपए

12,750

अर्धकुशल:

टेपर ग्रेड-III, टर्नर ग्रेड-III, ड्रिलर ग्रेड-III, रोमर ग्रेड-III, शेयर मैन ग्रेड-III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड-III, ब्रजर ग्रेड-III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड-III, प्रैस आपरेटर ग्रेड-III, स्प्रे पेंटर ग्रेड-III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड-III, असैम्बलर ग्रेड-III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड-III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-III, मोपर ग्रेड-III, ग्राइंडर ग्रेड-III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड-III, थ्रैड/ रोलर आपरेटर ग्रेड-III, बुक स्क्रयू मशीन आपरेटर ग्रेड-III, फीडर ग्रेड-III, डाइमेकर ग्रेड-III, वैल्डर ग्रेड-III, टिनस्मिथ ग्रेड-III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड-III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड-III, बाउचर इन्सपेक्टर ग्रेड-III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-III, ऑयलमैन।

दैनिक रुपए

439

मासिक रुपए

13,170

कुशल:

टेपर ग्रेड-II, टर्नर ग्रेड-II, ड्रिलर ग्रेड-II, शेपर ग्रेड-II, शेपर मैन ग्रेड-II, स्लाटरमैन ग्रेड-II, मकैनिसट आपरेटर/ब्रजर ग्रेड-II, लाईनर ग्रेड-II, स्प्रे पैन्टर ग्रेड-II, ट्रांसफर मिक्सर ग्रेड-II, प्रैस आपरेटर ग्रेड-II, असैम्बलर ग्रेड-II, टेलर ग्रेड-II, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर ग्रेड-II, ग्राइंडर ग्रेड-II, हैडमशीन आपरेटर ग्रेड-II, थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-II, बुक स्करयू मशीन आपरेटर ग्रेड-II, गोल्ड ड्रा मशीन आपरेटर ग्रेड-II, फिटर ग्रेड-II, कारपेंटर/ पैट रन मेकर ग्रेड-II, डाइमेकर ग्रेड-II, साइस्टर ग्रेड-II, वैल्डर ग्रेड-II, टिनस्मिथ ग्रेड-II, हैमरमैन ग्रेड-II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-II, टूलसैटर ग्रेड-II, इलैक्ट्रिकल लाईनमैन ग्रेड-II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II, आरमैचर वाईडर और कॉईल वाईडर ग्रेड-II, केबल ज्वाइटर ग्रेड-II, वाऊचर इन्सपेक्टर ग्रेड-II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-II, मोल्डर ग्रेड-II, सुपरवाइजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है।

दैनिक रुपए

493

मासिक रुपए

14,790

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड-I, ग्राइंडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड-I, शेपर मैन ग्रेड-I,

दैनिक रुपए

मासिक रुपए

सलाटरमैन ग्रेड-1, मिलर ग्रेड-1, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-1, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड-1, फिटर ग्रेड-1, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड-1, डाईमेकर ग्रेड-1, एन्ग्रेवर ग्रेड-1, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-1, डाईसैटर ग्रेड-1, टूल सैटर ग्रेड-1, इलैक्ट्रिशियन ग्रेड-1।	588	17,640
--	-----	--------

क्लेरिकल स्टाफ :

दैनिक रुपए

मासिक रुपए

456

13,680

कैशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाईपिस्ट, स्टोरकीपर।

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षकों की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्तित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-**कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:-**उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

8. चाय बागान (टी प्लांटेशन)

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन)" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **04-04-2025** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित न्यूनतम मजदूरी

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण, उखाड़ने, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट-छांट करने, गुड़ाई करने, तुड़ाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।	रुपए 425 दैनिक	रुपए 12,750 मासिक
---	--------------------------	-----------------------------

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 31 रुपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे 23 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुड़ान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे 18 रुपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को क्रमशः चाय पत्तियों के—'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए 31 रुपए, 23 रुपए और 18 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्द्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधारोपण में लगाए गए कर्मकारों को **432** रुपए प्रतिदिन, **12,960** रुपए प्रतिमास मिलेंगे।

कारखाना :

रुपए **425** दैनिक और

इसमें लिफ्ट मजदूर (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, टी-ब्याएज, सार्टज, टी-मेकर्स, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं।

रुपए **12,750** मासिक

प्लांटेशन :

रुपए **425** रुपए दैनिक
रुपए **12,750** मासिक

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि,
जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली
तथा मेट भी शामिल होंगे ।

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ ऑफिस स्टाफ:

1. लेखाकार रुपए 649 प्रतिदिन, रुपए 19470 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास
2. लिपिक रुपए 493 प्रतिदिन, रुपए 14,790 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास
3. मुन्शी रुपए 517 प्रतिदिन, रुपए 15,510 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपरासी/चौकीदार/चौधरी रुपए 432 प्रतिदिन, रुपए 12,960 प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रुपए 602	रुपए 18,060
6. ड्राइवर (जीप/कार/ट्रैक्टर)	रुपए 540	रुपए 16,200
7. मकैनिक	रुपए 607	रुपए 18,210
8. असिस्टेंट मकैनिक	रुपए 538	रुपए 16,140
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड-।	रुपए 607	रुपए 18,210
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड-।।	रुपए 538	रुपए 16,140

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रुप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

अकुशल:—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्तित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

(ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-(ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार	रुपए 425 प्रतिदिन या रुपए 12,750 प्रतिमास
अर्द्ध-कुशल	रुपए 438 प्रतिदिन या रुपए 13,140 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय	रुपए 493 प्रतिदिन या रुपए 14,790 प्रतिमास

कर्मचारिवृन्द (स्टाफ)**उच्च कुशल****रुपए 588 प्रतिदिन या रुपए 1,7640 प्रतिमास****टिप्पणी:**

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:-**कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:-**उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

10. होटल और रैस्टोरेंट

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा
उपलब्ध नहीं करवाई
गई है

जहां संयुक्त आवास और
खाना, चाय आदि की
प्रसुविधा उपलब्ध करवाई
गई है

1

2

3

अकुशल:

हैल्पर/चौकीदार/चपरासी /स्वीपर /मसालची/	रुपए 425 दैनिक	रुपए 394 दैनिक
गेटमैन / वाटरमैन / मसंजर / क्लाकरूम	रुपए 12,750 मासिक	रुपए 11,820 मासिक
अटैंडेंट /पोटर/भिश्ती बेलदार /फायरमैन/		
पांडी / पोस्टर मैन या कोई अन्य कामकार जो		
अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।		

अर्धकुशल कर्मकार

पेंट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन /सहायक	रुपए 449 प्रतिदिन	रुपए 412 प्रतिदिन
बेकर / कुक/ सहायक हलवाई / बुक वाईडर /	रुपए 13,470 मासिक	रुपए 12,360 मासिक
सटिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली /		
होटल गाईड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट		
फिटर / सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर/ असिस्टेंट		
वैल्डर / असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन/असिस्टेंट		
सेल्जमैन/ असिस्टेंट बारबर / धोबी / प्रैसमैन /		

बॉयलरमैन/फिल्म रिवाइंडर/वाटरवीअर/असिस्टेंट रेडियो मकैनिक/पेंटर/व्हाइट वॉशर/पकौड़ा और चना मेकर/कलर्क (नॉन-मैट्रिक)/ असिस्टेंट स्टोर कीपर, असिस्टेंट मशीनमैन /इनक्वायरि एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/ आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर /	रुपए 493 दैनिक	रुपए 454 दैनिक
बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफ्ट्समैन /	रुपए 14,790 मासिक	रुपए 13,620 मासिक
टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर /		
वेयरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड वीयरर		
(वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0 प्रमाण-पत्र		
धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।		

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / अकाउंटेंट /	रु0 513 दैनिक	रु0 475 दैनिक
हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर /	रु0 15,390 मासिक	रु0 14,250 मासिक
हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक /		
इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन / सुपरवाइजर/टेलर /		
कटर (टेलरिंग) ।		

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहां किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:—

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्लित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके

कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “निजी शैक्षणिक संस्थानों” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2024 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:—

अकुशल कर्मकार	रु0 425 प्रतिदिन या रु0 12,750 प्रतिमाह
अर्द्ध-कुशल	रु0 449 प्रतिदिन या रु0 13,470 प्रतिमाह
कुशल	रु0 493 प्रतिदिन या रु0 14,790 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रु0 513 प्रतिदिन या रु0 15,390 प्रतिमाह

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग :

(1) अकुशल कर्मकार

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, टीएम अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर-कम-बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कन्डीशनींग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी

न्यूनतम
दैनिक

रुपए 425

मजदूरी
मासिक

रुपए 12,750

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्योरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेंट, जेनरेटर अटैन्डेंट, लोकोमोटिव अटैन्डेंट, कन्क्रीट मिक्चर अटैन्डेंट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेटरी सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जेनरेटर सेट ऑपरेटर, जेनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल ईन्जन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैन्डेंट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैन्डेंट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटैन्डेंट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली।

रुपए 452**रुपए 13,560****कुशल कर्मकार :-**

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, जेनरेटर ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन, फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रीशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाईन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपेक्टर, सुपरवाइजर, कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेकनीकल सुपरवाइजर (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोटर बाईंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी।

रुपए 493**रुपए 14,790****उच्च-कुशल कर्मकार :-**

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बैचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मैकेनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ बार बाईन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेंट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (8 वर्ष से अधिक का अनुभव)।

रुपए 588**रुपए 17,640**

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षाओं की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961(1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर-जनजातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौतरी लागू होगी।

मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना उक्त दिए गए उदाहरण के अनुसार होगी

	कामगार का वर्ग	मजदूरी की न्यूनतम दर (प्रतिदिन) (रुपए)	गैर-आदिवासी क्षेत्रों में स्थित निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं में 25% वृद्धि की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रुपए)	कॉलम संख्या 3+ 4 के अनुसार कुल मजदूरी बनी (प्रतिदिन) (रुपए)	कॉलम संख्या 5 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दरों के ऊपर 20 % सुरंग भत्ता की स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रुपए)	न्यूनतम मजदूरी की कुल स्वीकार्यता (प्रतिदिन) (रुपए)
(क)	अकुशल	425	106	531	106	637
(ख)	अर्ध-कुशल	452	113	565	113	678
(ग)	कुशल	493	123	616	123	739
(घ)	अत्यधिक-कुशल	588	147	735	147	882

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

संख्या: श्रम(ए)4-1 / 2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “फार्मास्यूटिकल उद्योग” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग :**अकुशल कर्मकार****न्यूनतम मजदूरी
दैनिक****मासिक**

पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपींग हैल्पर, चपरासी । **रुपए 425** **रुपए 12,750**

अर्ध-कुशल कर्मकार

तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट । **रुपए 439** **रुपए 13,170**

कुशल कर्मकार :

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीकल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर । **रुपए 493** **रुपए 14,790**

उच्च कुशल कर्मकार :

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव, बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट, बीएससी केमिस्ट, एमएससी कैमिस्ट और स्टेनो ग्राफर । **रुपए 588** **रुपए 17,640**

टिप्पणी :

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों

से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लीनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **04-04-2025** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा
उपलब्ध नहीं करवाई
गई है

जहां भोजन, चाय
और संयुक्त आवास
सुविधा उपलब्ध
करवाई गई है

अकुशल कर्मकार :

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, / वॉच मैन, चपरासी, रूम ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।

रुपए 425 दैनिक
रुपए 12750 मासिक

रुपए 394 दैनिक
रुपए 11,820 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :

क्लिनिक अटेंडेंट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, सिक्वोरिटी गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीस्टेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेंडेंट, वार्ड ब्वाय / वार्ड अटेंडेंट (0 से 3 वर्ष सर्विस)

रुपए 449 दैनिक
रुपए 13,470 मासिक

रुपए 411 दैनिक
रुपए 12,330 मासिक

कुशल कर्मकार :

रिसर्पमैनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर, ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट, चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैक्शनलिस्ट, स्टोर कीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय (3 वर्ष से ऊपर सर्विस)।

रु0 493 दैनिक
रु014,790 मासिक

रु0 454 दैनिक
रु0 13,620 मासिक

उच्च कुशल कर्मकार:

स्टाफ नर्स, सिक्वोरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनो ग्राफर।

रुपए 513 दैनिक
रुपए 15,090 मासिक

रुपए 475 दैनिक
रुपए 14,250 मासिक

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वर्तित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहां महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

15- घरेलू कामगार

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कामगार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सराकर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मचारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारों के प्रवर्ग	जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है	जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है
अकुशल कर्मकार:		
हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन, वॉशर मैन	रुपए 425 दैनिक रुपए 12,750 मासिक	रुपए 359 दैनिक रुपए 10,770 मासिक
अर्ध-कुशल कर्मकार :		
सिक्थोरिटी गार्ड, माली	रुपए 449 दैनिक रुपए 13,470 मासिक	रुपए 373 दैनिक रुपए 11,190 मासिक
कुशल कर्मकार :		
कुक और चालक	रुपए 493 दैनिक रुपए 14,790 मासिक	रुपए 396 मासिक रुपए 11,880 मासिक

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षकों की मजदूरी, शिक्षा अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मचारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मचारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी :-

- (i) **अकुशल:**—अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल** :—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल** :—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल** :—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “सफाई कर्मचारी नियोजन” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सराकर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:	न्यूनतम मजदूरी दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन	रुपए 425	रुपए 12,750
अर्ध-कुशल कर्मकार :		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट।	रुपए 439	रुपए 13,170
कुशल कर्मकार :-		
चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।	रुपए 493	रुपए 14,790
उच्च कुशल कर्मकार :-		
कनिष्ठ अभियन्ता, सेनेटरी इन्स्पेक्टर और स्टेनो ग्राफर।	रुपए 588	रुपए 17,640

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्बलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल :-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

17. सुरक्षा सेवाएं

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “सुरक्षा सेवाएं” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था और सराकर द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
हेल्पर और वॉच मैन	रुपए 425	रुपए 12,750
अर्ध-कुशल कर्मकार:		
सिक्थोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट।	रुपए 439	रुपए 13,170

कुशल कर्मकार :

सिक्थोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, **रुपए 493** **रुपए 14,790**
क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सिक्थोरिटी ऑफिसर, सिक्थोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट **रुपए 588** **रुपए 17,640**

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर-जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत बढ़ौती लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग करके दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं

संख्या: श्रम(ए)4-1/2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि “मन्दिर और धार्मिक स्थान/धर्मशालाएं” के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख 04-04-2025 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार :

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार

जहां कोई प्रसुविधा
उपलब्ध नहीं करवाई
गई है

रुपए 425 दैनिक
रुपए 12,750 मासिक

जहां भोजन, चाय और
संयुक्त आवास सुविधा
उपलब्ध करवाई गई है

रुपए 394 दैनिक
रुपए 11,820 मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन्, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिक्थोरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट।	रुपए 449 दैनिक रुपए 13,470 मासिक	रुपए 439 दैनिक रुपए 13,170 मासिक
--	-------------------------------------	-------------------------------------

कुशल कर्मकार:

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पण्डित, कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।	रुपए 493 दैनिक रुपए 14,790 मासिक	रुपए 454 दैनिक रुपए 13,620 मासिक
--	-------------------------------------	-------------------------------------

उच्च कुशल कर्मकार:

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेन्ट, रागी, बजन्त्री, भजन गायक, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट।	रुपए 513 दैनिक रुपए 15,390 मासिक	रुपए 475 दैनिक रुपए 14,250 मासिक
---	-------------------------------------	-------------------------------------

टिप्पणी:

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्द्ध-कुशल:**—अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जून, 2025

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कामगार

संख्या: श्रम(ए)4-1 / 2024.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कामगार के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कामगारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2025 से संशोधित किया जाए;

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड(क) के उपबन्धों के अनुसार अधिसूचना संख्या: श्रम(ए)4-2 / 2018-पी-II तारीख 24-04-2023 द्वारा, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

उक्त समिति की बैठक तारीख **04-04-2025** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था और सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संशोधित न्यूनतम मजदूरी 01-04-2025 से लागू होगी।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2025 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार:	न्यूनतम दैनिक	मजदूरी मासिक
चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची	रुपए 425	रुपए 12,750
अर्ध-कुशल कर्मकार :		
कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	रुपए 439 प्रतिदिन	रुपए 13,170 प्रतिमाह
कुशल कर्मकार :-		
इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रुपए 493 प्रतिदिन	रुपए 14,790 प्रतिमाह
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट	रुपए 588 प्रतिदिन	रुपए 17,640 प्रतिमाह

टिप्पणी:-

1. एक ही प्रकार के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्द्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-**अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उपजीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक हैं परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्द्ध-कुशल:-**अर्द्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:**—कुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:**—उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मचारियों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

प्रियंका बासु ईगटी,
सचिव (श्रम, रोजगार एवं विदेशी नियोजन)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

1. AGRICULTURE

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of "**Agriculture**" may be revised with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned Scheduled Employment Rs. **425** per day or Rs. **12,750** per month *w.e.f.* **01-04-2025**.

NOTE :—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled will be as under:--

- (i) **Unskilled:**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 24th June, 2025

**2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING
OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING**

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as under:—

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily Rupees	Monthly Rupees
UN-SKILLED WORKERS :		
Bhisthi/Chimini Cleaner/Chowkidar/Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor & Road Roller & Concrete Mixer/Majdoor /Survey Boy/Watchmen/Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Messhelpers/ Boy Helper (0 to 5 years)/ Khalasi (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker.	425	12,750
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/Badhani/Upholster/Fitter Attendant/Black Smith (Boat-man)/Caneman/Distemperer Grade-I/Fitter Grade-II/Flour Polisher/ Stone Dresser/Mali/Well Sinker/White Washer/Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/Assistant Fireman/ Assistant Welder/Assistant Turner/Battery Charger/Dresser/(Qualified/Experienced)/ Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/Nozzle Man/Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi (3 to 8 years)/stone Dresser/Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/Gauge Reader/Asstt. Lab Attendant/Auto Electrician/Motor Mate/Enquiry Attendant/Telephone Attendant.	452	13,560
Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 2520 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 2811 per 100 cft.		
SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/Mason Grade-I/Black Smith/Sanitary Fitter Grade-I/Upholster Grade-I/Astt. Pump Operator/Pump Operator/Pump Driver/Chargeman Grade-II/Water Supply Fitter/Carpenter Grade-II/Compressor Operator/Compressor Driver/Darji or Tailor Grade-I/Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/Stone Dresser for Ornamental work/Plumber Grade-I/Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/Asstt. Mechanic/Mixer Driver/ Mixer Operator/Structural Fitter Grade-II/Workshop Fitter/Generator Operator/Generator Driver/Plant Shop Fitter/ Diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter/Crushing Plant Fitter/B. Plant Fitter/Jack Hammer Fitter/ Electrical Fitter/Bunch Fitter/Shaper/ Auto Fitter/Pipe Line Fitter/Refrigerator Plant Fitter/Tractor Operator/Shaft Minor/Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/Scraper Operator/Loader Operator/Crane Operator/Eucild Operator/Wagon Drill Operator/	493	14,790

Boaring Operator/SLD Crane Operator/B Plant Operator/Ice Plant Operator or Welder/Gas Cutter/Turner/Black Smith/Tin Smith/Traction Battery Charger/Line Man/ Telephone Operator/Khalssi/Jamadar/Winder/Blaster Driller/ Winch Fitter/Compounder/Painter/Miller/Climber/Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/ Foreman Grade-II/Khalasi (8 years to above)/Tracer Operator/E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type Work/Work Mistry/Motor Mate/Tractor Driver/ Telephone Mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Forman Grade-II.

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/Turner Grade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman/Assistant Foreman/Machinist/Compounder (Qualified) Road Roller Driver/ Bulldozer Driver/Wireman/Auto Electrician/Electrician/ Chemical Analyser.	588	17,640
Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/Ledger Booking Clerk/Bill Clerk/Irrigation Booking Clerk/Patwari/Complaint Attendant/Ferro Printer/Driver (Jeep/Car/Tractor)/Clerk/Mechanical Inspector/Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	493	14,790

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled:** -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-2, the 24th June, 2025***3. PUBLIC MOTOR TRANSPORT**

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Public Motor Transport**" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as under:—

General Staff Unskilled

Rs.425 per day, Rs. 12,750 per month

- (a) Peon, Chowkidar, Store Helper, Sweeper, Porter and Daftri
- (b) Workshop Staff (Unskilled)
- (c) Workshop Mazdoor without having any experience

Semi-skilled

Rs. 441 per day, Rs.13,230 per month

- 1. Asstt. Electrician
- 2. Asstt. Mechanic
- 3. Asstt. Fitter
- 4. Asstt. Black Smith
- 5. Asstt. Carpenter
- 6. Asstt. Welder
- 7. Asstt. Turner
- 8. Asstt. Boaring Barman
- 9. Asstt. Machinist
- 10. Asstt. Cushion Maker
- 11. Asstt. Volcanis or
- 12. Asstt. Painter
- 13. Asstt. Upholster
- 14. Asstt. Tyreman
- 15. Asstt. Sprayman
- 16. Asstt. Electrician Mechanic
- 17. Asstt. Retreader
- 18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma

19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring Wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holder who are working in the same trade.

**Rs. 481 per day
or Rs. 14,430 per month.**

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor

**Rs. 534 per day or
Rs. 16,020 per month.**

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant.

**Rs. 481 per day or
Rs. 14,430 per month.**

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector.

**Rs. 507 per day or
Rs. 15,210 per month.**

**Rs. 597 per day
Rs. 17,910 per month.**

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier.

RUNNING STAFF

	Per Day	Per month
1. Driver	Rs. 540	Rs. 16,200
2. Conductor	Rs. 493	Rs. 14,790
3. Cleaner-cum-Conductor	Rs. 461	Rs. 13,830
4. Part-Time Booking Clerk	Rs. 295	Rs. 8,850

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "Shops & Commercial

Establishments" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **1-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/Pelledar/Chowkidar/Peon/Sweeper/Masalchi/Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/Porter/Bhishit/Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rs.425 Daily	Rs 394 Daily
	Rs.12,750 Monthly.	Rs. 11,820 Monthly
Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head Porter, Pantryman/Coffee-Teamaker/Chapatiman/ Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman/Assistant Operator/Binder Assistant/Bill Collector/Convesser/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Stitcher/Rulling-cutting/Auctioners /Mali/Sewerman/Hotel Guide/ Assistant Mistry/Assistant Fitter/Assistant Turner/ Assistant/Welder/Assistant Electrician/Assistant/ Salesman/Assistant Barbar/Dhobi/Pressman/ Boilerman/Film Rewinder/Waiter/Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/WhiteWasher/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machineman/ Enquiry Attendent/Telephone Attendent/ITI Certificate Holder.	Rs.449 Daily.	Rs. 439 Daily
	Rs. 13,470 Monthly.	Rs. 13,170 Monthly
Skilled :	Rupees	Rupees
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio mechanic/ Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/ Cutter (Tailoring)/ General Mechanic/ Halwai/Cook/ Confectioner/baker/steward/Butler/Fitter/Draughts man/Telephone Operator/Compounder/ Goldsmith/	Rs. 493 Daily	Rs. 454 Daily
	Rs. 14,790 Monthly	Rs. 13,620 Monthly

Shoe maker/ Shawl-Carpet Weaving/Compositor/
Cinema Operator/ Salesmen/ Drycleaner/ Dyer/
Barber/Regular Machineman/Machinist/Welder/
Moulder/ Cashier/ Clerk/ (Matric) Munim/
receptionist/ Waiter/ Bearer/ Storekeeper/
Headwaiter/Head Bearer (Western Style hotels)/
Lineman. ITI Certificate holder who are working in
the same trade.

Highly Skilled:	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rs.513 Daily Rs.15,390 Monthly	Rs. 475 daily Rs. 14,250 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi skilled/skilled/highly skilled will be as under:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

5. FORESTRY INDUSTRIES

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Forestry Industries**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1. Felling of trees:		
	Rs. 425	Rs. 12,750
		Rs. 449
1. Lopper (Changi)		Rs. 13,470
2. Feller (Garani)	Rs. 435	Rs. 13,050

2. Logging and sawing including timber passing:		
1. Dresser (Panchani)	Rs. 435	Rs. 13,050
2. Sawyer (Charani)	Rs. 534	Rs. 16,020
3. Blacksmith	Rs. 503	Rs. 15,090
3. Carriage, stacking and timber passing by manual labour:		
1. Mazdoor for carriage	Rs. 435	Rs. 13,050
2. Mazdoor for loading and unloading of timber	Rs. 435	Rs. 13,050
4. Carriage of timber by Aerial Ropeways :		
1. Span Mistry-cum-Supervisor	Rs. 534	Rs. 16,020
2. Span Mistry	Rs. 503	Rs. 15,090
5. Carriage by water slide (Pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bahaan and Darya Bahaan (River floating):		
1. Mohri-wala Mistry	Rs. 573	Rs. 17,190
2. Taru	Rs. 549	Rs. 16,470
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 513	Rs. 15,390
4. Darya-man	Rs. 549	Rs. 16,470
5. Ghalu	Rs. 468	Rs. 14,040
6. Jamadar	Rs. 468	Rs. 14,040
6. Mechanised logging and timber extraction:		
1. Surveyor	Rs. 538	Rs. 16,140
2. Ski-line Operator	Rs. 503	Rs. 15,090
3. Truck Driver	Rs. 471	Rs. 14,130
4. Compressor Driver	Rs. 471	Rs. 14,130
7. Clerical Staff:		
1. Manager	Rs. 619	Rs. 18,570
2. Accountant	Rs. 477	Rs. 14,310
3. Munshi/ Typist Clerk	Rs. 435	Rs. 13,050
8. Saw Mill Workers:		
1. Band Saw Mistry	Rs. 503	Rs. 15,090
2. Supervisor	Rs. 496	Rs. 14,880
3. Head Mistry	Rs. 503	Rs. 15,090
4. Boiler Driver	Rs. 503	Rs. 15,090
5. Assistant Mistry	Rs. 441	Rs. 13,230
6. Planner Mistry	Rs. 441	Rs. 13,230
7. Helper	Rs. 435	Rs. 13,050
8. Cutter man	Rs. 435	Rs. 13,050
9. Katha Extraction:		
1. Feller and Chipper	Rs. 435	Rs. 13,050
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 435	Rs. 13,050

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= **Rs. 588 Daily, Rs. 17,640 Monthly.**

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).

3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Chemical & Chemical Products**"

may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 425 Daily Rs. 12,750 Monthly
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant, Jamadar, Eastman, East Cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market elli, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	Rs. 439 Daily Rs. 13,170 Monthly
Skilled	
Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant Operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman, Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman, Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are working in the same trade.	Rs. 493 Daily Rs. 14,790 Monthly
Highly Skilled	
Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman	Rs. 588 Daily. Rs. 17,640 Monthly.

NOTE.—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

7. ENGINEERING INDUSTRIES

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Engineering Industries**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01.04.2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

<p>Un-Skilled</p> <p>Semi skilled Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III, Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III, Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III, Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III, Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III, Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.</p>	<p>Rs. 425 Daily or Rs.12,750 Monthly</p> <p>Rs. 439 Daily or Rs.13,170 Monthly</p>
<p>Skilled</p> <p>Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil Winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.</p>	<p>Rs. 493 Daily Rs.14,790 Monthly</p>

Highly Skilled Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughter man Grade-I, Miller Grade-I, Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,	Rs. 588 Daily Rs.17,640 Monthly
Clerical Staff Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper	Rs. 456 Daily Rs.13,680 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

8. TEA PLANTATION

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Tea Plantation**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning, weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 425 Daily or Rs. 12,750 Monthly

A-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **31** per kilogram extra as incentive.

B-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. **23** per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves.—If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 18 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 31, Rs. 23, Rs. 18 per kilogram for A, B, C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED.—Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. Rs. 432 per day, Rs. 12,960 per month.

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor,	Rs. 425 daily
Relling Room Workers, shifting Mazdoor,	Rs. 12,750 Monthly
Fermenting Room Workers, Tea Boys,	
Sorters, Tea makers, Time Keeper and Carriers	
(Jhalli)	

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant,	Rs. 425 daily
Muharirs etc. who maintain records of a field work	Rs. 12,750 Monthly
and also includes Sweeper, Mali & Mate.	

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 649	Rs. 19,470 per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 493	Rs. 14,790 per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 517	Rs. 15,510 per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon, Chowkidar/Chaudhary	Rs. 432	Rs. 12,960 per month plus free benefit as admissible.
		Daily Monthly
5. Compounder		Rs. 602 Rs. 18,060
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs. 540 Rs. 16,200
7. Mechanic ,		Rs. 607 Rs. 18,210
8. Assistant Mechanic		Rs. 538 Rs. 16,140
9. Electrician-cum-Mechanic Grade-I		Rs. 607 Rs. 18,210
10. Electrician-cum-Mechanic Grade-II		Rs. 538 Rs. 16,140

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
 5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.
- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled Workers	Rs. 425 P.D. or Rs. 12,750 per month
Semi-skilled	Rs. 438 P.D. or Rs. 13,140 per month
Skilled & Clerical Staff	Rs. 493 P.D. or Rs. 14,790 per month
Highly-Skilled	Rs. 588 P.D. or Rs. 17,640 per month

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with

responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-

(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

10. HOTEL AND RESTAURANTS

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Hotel and Restaurants**" may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/	Rs. 425 Daily Rs. 12,750 Monthly	Rs. 394 Daily Rs. 11,820 Monthly

Bhishti/ Beldar/ Fireman/ Pandi/
Posterman/ any worker doing un-skilled
job.

SEMI-SKILLED WORKER:

Pantryman /Coffee-Tea Maker/
Chapatiman / Assistant Baker/ Cook/
Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /
Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel
Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/
Sewerman/ Assistant Turner /Assistant
Welder/ Assistant Electrician/ Assistant
Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/
Pressman/Boilerman/Film Rewinder/
Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/
Painter/ White Washer/ Pakora and Chana
Maker/Clerk (Non-Matric)/Assistant Store
Keeper/ Distributor and Assistant
Machineman/ Enquiry Attendant/ Tele-
phone Attendant/ ITI certificate holder
who are working in the other trade.

SKILLED WORKERS :

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/
Steward/Butler/Draughtsman/ Telephone
Operator/Receptionist/Waiter/Bearer/Store
Keeper/Head Waiter/Head Bearer
(Western Style Hotel) ITI certificate
holder who are working in the same trade.

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates)
Accountant /Head Cashier/ Head Cook/
Head Butler/Head Baker/ Head
Confectioner/Head Mechanic/ Electrician/
Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter
(Tailoring).

Rupees

Rs. 449 Daily

Rs. 13,470 Monthly

Rupees

Rs. 412

Rs. 12,360 Monthly

Rupees.

Rs. 493 Daily

Rs. 14,790 Monthly.

Rupees.

Rs. 454 Daily

Rs. 13,620 Monthly.

Rupees

Rs. 513 Daily

Rs. 15,390 Monthly

Rupees

Rs. 475

Rs. 14,250 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram (A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

No. Shram(A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled Employment of "**Private Educational Institutes**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-skilled Workers	Rs. 425 per day or Rs. 12,750 per month
Semi-skilled	Rs. 449 per day or Rs. 13,470 per month
Skilled	Rs. 493 per day or Rs. 14,790 per month
Highly skilled	Rs. 513 per day or Rs 15,390 per month

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

12. HYDRO POWER PROJECTS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Hydro Power Projects**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UN-SKILLED WORKERS :	Rs.	Rs.
Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant	425	12,750

Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser, Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator, Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali.

452 13,560

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor (Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasi (more than 5 years Experience) and Dhobi.

493 14,790

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine

588 17,640

Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience).

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non-Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

	Category of Worker	Minimum Rates of Wages (per day) (Rs.)	Admissibility of 25% increase in Under-Construction Hydro Electric Power Projects Located in Non-Tribal Areas (per day) (Rs.)	Total Wages arrived at as per column no. 3+4 (per day) (Rs.)	Admissibility of 20% Tunnel Allowance over and above the Minimum Rates of Wages as per the column no. 5 (per day) (Rs.)	Total admissibility of Minimum Wages (per day) (Rs.)
1	2	3	4	5	6	7
(A)	Unskilled	425	106	531	106	637

(B)	Semi-Skilled	452	113	565	113	678
(C)	Skilled	493	123	616	123	739
(D)	Highly-Skilled	588	147	735	147	882

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Pharmaceuticals' Industries**" may

be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **20-06-2024** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2024** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Daily	Wages Monthly
Unskilled Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 425	Rs. 12,750
Semi Skilled Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 439	Rs. 13,170
Skilled Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 493	Rs. 14,790
Highly Skilled Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, Medical and Sales Representatives, B.Pharma, Accountant, B.Sc. Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.	Rs. 588	Rs. 17,640

NOTE—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Shimla-2, the 24th June, 2025

14. HOSPITALS/NURSING HOMES & CLINICS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**.

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated, 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi.	425 Daily 12,750 Monthly Rs.	394 Daily 11,820 Monthly Rs.
Semi-Skilled		
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Guard, Sweeper, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and Ward Attendant (0-3 Years Experience).	449 Daily 13,470 Monthly	411 Daily 12,330 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience).	493 Daily 14,790 Monthly	454 Daily 13,620 Monthly
Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder, Accountant and Stenographer	513 Daily 15,390 Monthly	475 Daily 14,250 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

15. DOMESTIC WORKERS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Domestic Workers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025;**

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	425 Daily 12,750 Monthly.	359 Daily. 10,770 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	449 Daily. 13,470 Monthly	373 Daily, 11,190 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	493 Daily. 14,790 Monthly	396 Daily 11,880 Monthly.

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

16. SAFAI KARAMCHARI EMPLOYMENT

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Safai Karamchari Employment**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were

approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	Rs. 425	Rs. 12,750
Semi Skilled Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 439	Rs. 13,170
Skilled Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs 493	Rs. 14,790
Highly Skilled Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer,	Rs. 588	Rs. 17,640

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where

- important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

17. SECURITY SERVICES

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 425	Rs. 12,750
Semi skilled		

Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 439	Rs. 13,170
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 493	Rs. 14,790
Highly Skilled		
Security Officer, Security Manager, Stenographer and Accountant.	Rs. 588	Rs. 17,640
NOTE:—		

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25% increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro-Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Skilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with

- responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

18. TEMPLES AND RELIGIOUS PLACES/DHARAMSHALAS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Temples and Religious Places/Dharamshalas**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.

Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	425 Daily 12,750 Monthly	394 Daily 11,820 Monthly.
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	449 Daily 13,470 Monthly	439 Daily 13,170 Monthly
Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit, Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	493 Daily 14,790 Monthly	454 Daily 13,620 Monthly
Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan Singer, Stenographer and Accountant.	513 Daily 15,390 Monthly	475 daily 14,250 Monthly

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

- (iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

[Authoritative English text of this Department Notification No. Shram(A)4-1/2024, dated 24-06-2025 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

LABOUR, EMPLOYMENT & O.P. DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th June, 2025

19. WORKERS WORKING IN TOLL TAX BARRIERS

No. Shram (A)4-1/2024.—Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the Scheduled employment of "**Workers Working in Toll Tax Barriers**" may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2025**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 read with section 9 of the Minimum Wages Act, 1948, a Minimum Wages Advisory Committee was constituted *vide* Notification No. Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said Committee was held on **04-04-2025** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and it has been decided by the Government that the revised minimum wages will be applicable *w.e.f.* **01-04-2025**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned Scheduled Employment *w.e.f.* **01-04-2025** as per recommendations of the said Committee as under:—

Category of employees	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers : Peon, Office Boy and Masalchi	Rs. 425	Rs. 12,750

Semi-skilled: Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant.	Rs. 439 per day or Rs. 13,170 per month
Skilled: Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 493 per day or Rs. 14,790 per month
Highly-Skilled Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant.	Rs. 588 per day or Rs. 17,640 per month

NOTE:—

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprenticeship Act, 1961 (No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled will be as:—

- (i) **Unskilled.**—An unskilled employee is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled.**—A semi-skilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) **Skilled.**—A skilled employee is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) **Highly Skilled.**—A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled employees.

By order,

Sd/-
(PRIYANKA BASU INGTY),
Secretary (Lab., Emp. & O.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं0 :
16/B & D/T/U/2025

किस्म मुकद्दमा:
जन्म पंजीकरण

तारीख दायर:
17-05-2025

तारीख पेशी:
10-07-2025

1. श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण आदित्य की जन्म तिथि 02-05-2019 पुत्र मनोज कुमार व पिकी प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी”।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण आदित्य की जन्म तिथि 02-05-2019 पुत्र मनोज कुमार व पिकी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं0 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण आदित्य की जन्म तिथि 02-05-2019 पुत्र मनोज कुमार व पिकी ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनके पुत्र का जन्म 02-05-2019 को एम.सी. ऊना में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः “इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10-07-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असातन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं० :	किस्म मुकद्दमा:	तारीख दायर:	तारीख पेशी:
17/B & D/T/U/2025	जन्म पंजीकरण	17-05-2025	10-07-2025

1. श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं० 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण पायल की जन्म तिथि 27-07-2017 पुत्री मनोज कुमार व पिंकी प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी”।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जन्म पंजीकरण प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं० 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण पायल की जन्म तिथि 27-07-2017 पुत्री मनोज कुमार व पिंकी।

प्रार्थना—पत्र प्रार्थी श्री मनोज कुमार पुत्र चंद्रपाल, वासी वार्ड नं० 3, मोहल्ला गलुआ, तहसील व जिला ऊना, हि0प्र0 बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन जन्म पंजीकरण पायल की जन्म तिथि 27-07-2017 पुत्री मनोज कुमार व पिंकी ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उनकी पुत्री का जन्म 27-07-2017 को एम.सी. ऊना में हुआ था परन्तु यह जन्म पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः “इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 10-07-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 05-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0)

केस नं० :
22/B & D/T/U/2025

किस्म मुकद्दमा:
मृत्यु पंजीकरण

तारीख दायर:
16-06-2025

तारीख पेशी:
24-07-2025

1. श्रीमती सुनीता पत्नी मनजीत कुमार उर्फ मनजीत सिंह उर्फ वोवी, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी”।

प्रार्थना-पत्र मृत्यु पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती सुनीता पत्नी मनजीत कुमार उर्फ मनजीत सिंह उर्फ वोवी, वासी कुठार कलां, तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) बाबत दिए जाने आदेश रजिस्ट्रेशन मृत्यु पंजीकरण एम.सी. ऊना तहसील व जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उनके पति मनजीत कुमार उर्फ मनजीत सिंह उर्फ वोवी पुत्र वनारसी दास की मृत्यु दिनांक 14-08-2012 को एम.सी. ऊना में हुई थी परन्तु यह मृत्यु पंजीकरण अनभिज्ञता के कारण एम.सी. ऊना के रजिस्टर में दर्ज न हो सका।

अतः “इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश/मुश्री मुनादी व चस्पानगी” के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 24-07-2025 को सुबह 10.00 बजे से लेकर शाम 5.00 बजे तक इस न्यायालय में असातन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एम.सी. ऊना को उक्त पंजीकरण करने के आदेश जारी कर दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

सुमन कुमारी उर्फ कीर्ति पुत्री लेख राज, गांव कुठियाडी, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र राजस्व रिकार्ड के खेवट नम्बर 176, वाक्या महाल कुठियाडी, जमाबन्दी वर्ष 2016-2017, खेवट नं० 149, वाक्या महाल बदाऊं, जमाबन्दी वर्ष 2018-2019 व खेवट नं०, वाक्या महाल नंदपुर, जमाबन्दी वर्ष के खाना मालिक में दर्ज नाम सुमन कुमारी पुत्री लेख राज की बजाये कीर्ति पुत्री लेख राज दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

मुश्त्री मुनादी बनाम आम जनता।

हर खास व आम जन को बजरिया मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित उनवान मुकद्दमा इस न्यायालय में जेरे समायत है जिसमें प्रार्थिया ने निवेदन किया है कि उसका सही नाम कीर्ति पुत्री लेख राज है परन्तु महाल कुठीयाडी के खाता नं0 176, महाल बदाऊं के खाता नं0 149 में उसका नाम सुमन कुमारी दर्ज चला आ रहा है जोकि गलत है तथा प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम सुमन कुमारी पुत्री लेख राज की बजाये कीर्ति पुत्री लेख राज दर्ज किया जाए। अतः इस मुश्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम दुरुस्ती दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत में दिनांक 15-07-2025 को सुबह 10.00 बजे तक या उससे पहले किसी भी कार्य दिवस पर इस अदालत में अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 15-07-2025 के बाद कोई भी एतराज मान्य न होगा तथा केस पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 13-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Amit Sharma aged 31 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Chilli, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Preeti aged 19 years d/o Sh. Nanne Lal, r/o Flyover Motinagar Maqsudan, Jalandhar-1, Grain Market Jalandhar (Pb.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Notice of Intended Marriage.

Sh. Amit Sharma aged 31 years s/o Sh. Kishori Lal, r/o Village Chilli, P.O. & Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Preeti aged 19 years d/o Sh. Nanne Lal, r/o Flyover Motinagar Maqsudan, Jalandhar-1, Grain Market Jalandhar (Pb.) through counsel Sh. Arun Thakur have filed an application in the court of undersigned under section 5 of the Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they intend to solemnize their marriage within three months of calendar.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this

court on or before 12-08-2025. The objection received after 12-08-2025 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19th day of June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Saurabh age 29 years s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Chamboa, P.O. Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Saroj age 28 years d/o Sh. Manohar Lal, r/o House No. 51/1, Sawroop Nagar, Chander Park, South Delhi . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Saurabh s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Chamboa, P.O. Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Saroj d/o Sh. Manohar Lal, r/o House No. 51/1, Sawroop Nagar, Chander Park, South Delhi at present w/o Sh. Saurabh s/o Sh. Subhash Chand, r/o Village Chamboa, P.O. Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-04-2025 at Sada Shiv Mandir Talmehra, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-07-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Bangana, District Una,
Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Sh. Kanchan Kumar age 31 years s/o Sh. Mahesh Pal, r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).

2. Khushabu Khatun age 23 years d/o Sh. Abdul Kamal, r/o Village Babhnauli Kala, Tehsil & Distt. Deoria (U.P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (H.P.).

Sh. Kanchan Kumar s/o Sh. Mahesh Pal, r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and Khushabu Khatun d/o Sh. Abdul Kamal, r/o Village Babhnauli Kala, Tehsil & Distt. Deoria (U.P.) at present w/o Sh. Kanchan Kumar s/o Sh. Mahesh Pal, r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 25-04-2025 at r/o Village Chowki Khas, P.O. Chowki Maniar, Tehsil Bangana, District Una (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under section 15 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 25-07-2025 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th June, 2025 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bangana, District Una, Himachal Pradesh.*

CHANGE OF NAME

I, Adarsh Bhota s/o Sh. Jagdish Chand Bhota, r/o Village Tikri, P.O. Khagna, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.)-171 211 declare that my and my father's name has been wrongly entered in my Matriculation Examination Certificate in H.P. Board of School Education Dharamshala & recorded as Adarsh Kumar s/o Sh. Jagdish Chand whereas my correct name is Adarsh Bhota s/o Sh. Jagdish Chand Bhota. All concerned please may note.

ADARSH BHOTA
*s/o Sh. Jagdish Chand Bhota,
r/o Village Tikri, P.O. Khagna,
Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).*

CHANGE OF NAME

I, Jyoti w/o Sh. Tilak Raj, r/o Village Satohal, P.O. Sadyana, Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.)-175 001 aged 34 years declare that in Aadhar Card of my minor son Naitik aged 10 year, his name is wrongly entered as Natik instead of Naitik and he shall hereafter be known as Naitik. All concerned note it.

JYOTI

w/o Sh. Tilak Raj,
r/o Village Satohal, P.O. Sadyana,
Tehsil Kotli, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Yansh Thakur s/o Sh. Charan Singh, r/o Village Bahra, P.O. Segli, Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my name from Yansh Thakur to Yash Thakur. All concerned please note.

YANSH THAKUR

s/o Sh. Charan Singh,
r/o Village Bahra, P.O. Segli,
Sub-Tehsil Kataula, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kumari Poonam Dulta aged about 35 years, w/o Mr. Aditya Singh Dulta, r/o Geet Kunj, Monal Public School, North Oak, Sanjauli, Shimla (H.P.) Pin-171 006 declare that I have changed my name from Kumari Poonam Dulta (Old Name) to Poonam Dulta (New Name). All concerned please may note.

KUMARI POONAM DULTA,

w/o Mr. Aditya Singh Dulta,
r/o Geet Kunj, Monal Public School,
North Oak, Sanjauli, Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Shallu Bharwal *alias* Salochana Devi w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar, Sub-Tehsil Jol, District Una (H.P.) declare that my correct name is Salochana Devi which has been mistakenly written as Shallu Bharwal in the Aadhar Card. Be corrected in relevant documents please.

SHALLU BHARWAL *Alias* SALOCHANA DEVI,

w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Village Baruhi, P.O. Chowki Maniar,
Sub-Tehsil Jol, District Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, No. 1287303 NK Chatter Singh (Retd.) s/o Sh. Shunku Ram, r/o V.P.O. Manjeer, Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.) declare that in my Army record, my Late wife's name is wrongly entered as Bimala Devi whereas, her correct name was Kiradi Devi. Please note.

CHATTER SINGH
s/o Sh. Shunku Ram,
r/o V.P.O. Manjeer,
Tehsil Salooni, District Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Naro Devi w/o Sh. Dharmu Ram, r/o Village Jhareri, P.O. Badgaon, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.)-174 029 declare that I have changed my name from Nardei to Naro Devi in all my documents. All concerned please may note.

NARO DEVI
w/o Sh. Dharmu Ram,
r/o Village Jhareri, P.O. Badgaon,
Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).
